



# कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

ई-नीलामी  
बिक्री  
सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27, बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051  
शाखा: 101-102, प्रथम मंजिल, पीपी ट्रेड सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, पितम्पुरा, नई दिल्ली-110034

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी और दस्तावेजों (हार्ड कॉपी) और (ऑनलाइन) भेजने की अंतिम तिथि एवं समय 16.08.2022 को सायं 04.00 बजे  
ई-नीलामी की तिथि और समय 17.08.2022 को प्रातः 11.00 से सायं 3.00 बजे

(प्रत्येक बिक्री की कनकुलेशन तक 5 मिण्ट के दौरान असोमित बढ़ाती के साथ)

**SARFAESI अधिनियम (2002 का सं. 54) सुरक्षाहित अधिनियम 2002 की वित्तीय सम्पत्तियां एवं प्रवर्तन के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अन्तर्गत बैंक की गिरवी अचल सम्पत्तियों को बिक्री के सिल सार्वजनिक सूचना**

जैसा कि निम्न निर्धारित बेची गई सम्पत्तियों के बैंक के निर्णय और सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के अन्तर्गत गिरवी सम्पत्तियों का कब्जा और इसके अधिकारों के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड अगले ब्याज और निम्न निर्धारित निर्देशों जैसे कुछ बकाया और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के डिफाल्टरों, ऋणदाता(1) के नाम निम्न दिए गए हैं, उनके नामों के तहत 'जैसे है जहाँ है' और 'जैसे है क्या है' और 'कोई शिकायत नहीं' की शर्त निम्न 8 से 9 के नियमों के अन्तर्गत है। ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षर द्वारा ही उपलब्ध वैबसाइट <https://kotakbank.auctiontigner.net> also on [auctiontignermobileapp](https://kotakbank.auctiontigner.net). पर ही बिक्री की जाएगी।

खाता एवं ऋणदाता/बंधक(यों)/ग्राहक(यों) का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस अनुसार रकम( )	ईएमडी भेजी गई रकम का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली की बड़ी रकम
1. मैसर्स भारती ट्रेडर्स (बॉटी) (ऋणदाता) इसके प्रोपराइटर सुश्री नीतू वैश, पता: नजदीक ऊमा पब्लिक स्कूल, मेन रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यूपी-201306, द्वितीय पता:- ई-10 ब्लॉक, ई दयानंद नगर, गाजियाबाद-201001 (यूपी) 2. श्रीमती नीतू वैश (एसआएल सह बंधक), पता: नजदीक ऊमा पब्लिक स्कूल, मेन रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यूपी-201306, द्वितीय पता:- ई-10 ब्लॉक, ई दयानंद नगर, गाजियाबाद-201001 (यूपी) 3. श्री अशोक कुमार (ग्राहक बंधक) पता: नजदीक ऊमा पब्लिक स्कूल, मेन रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यूपी-201306, द्वितीय पता:- ई-10 ब्लॉक, ई दयानंद नगर, गाजियाबाद-201001 (यूपी) 4. श्री अशोक कुमार वैश (ग्राहक) (इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) पता: नजदीक ऊमा पब्लिक स्कूल, मेन रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यूपी-201306, द्वितीय पता:- ई-10 ब्लॉक, ई दयानंद नगर, गाजियाबाद-201001 (यूपी)	श्रीमती नीतू वैश और श्री अशोक कुमार के स्वामित्व वाली गैर-कृषि संपत्ति रिहायशी कालोनी, दयानंद नगर, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (यूपी) 201001 में स्थित नं. 10-ई क्षेत्र मापित 569 स्क्वा. यार्ड, पर चढ़ी रिहायशी सम्पत्ति के सभी पीएम एवं पार्सल, इकट्टी सारी बिल्डिंग पद्धति और स्ट्रक्चर पर और भवनों और स्ट्रक्चर पर बना/निर्माण कर सकते हैं, सर्वोच्च गिरवी की तिथि के पश्चात/किसी समय से सारी अतिरिक्त और सारे फ्लिक्स और फर्नीचर और प्लॉट और मशीनरी मे जमीन या स्थान किसी प्रकार को कोई चीज जमीन से जो संबंधित हैं, दोनों वर्तमान और भविष्य में हैं, भवन निम्न के अन्तर्गत बाईंडिड हैं:- पूर्व- श्री योगेश शर्मा का प्लॉट, परिचम-शेष पोरान, उत्तर-शेष पोपेण, दक्षिण-सड़क 40 फुट। साथ में उस पर सभी वर्तमान और भविष्य की संरचना और सभी सुखभोगी,मामूल अधिकार मंलगन हैं।	₹. 4,18,72,205.47 जैसे 02.03.2022 पर भविष्य के ब्याज, लागत एवं शुल्क के साथ।	खाता संख्या: 06410125272001 कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड नरिचम प्लाईट शाखा मुंबई, IFSC CODE: KKBK0000958	(आरपी) ₹. 429,50,000/- (ईएमडी) ₹. 42,95,000/- (बीआईए) ₹. 50,000/-

शर्तें व नियम:- (1) ई-नीलामी 'जैसे है जहाँ है तथा जैसा है जो है' के आधार पर' एवं कोई शिकायत नहीं आधार पर की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार किसी भी संपत्ति(1) पर कोई ऋणधार नहीं है। हालांकि प्रत्याशित बोलोदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणधारों, नीलामी की जाने वाली संपत्तियों के टाइटल तथा इस संपत्ति के संबंध में दावे/अधिकार/बकाया के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करावा ले। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/द्वयुज के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (2) बोली जमा करवाने से पूर्व संपत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलोदाता की होगी। स्टेट रिजर्वरी मैनेजर एडवोकेट के साथ विचारों में बैंक के दिनों पर इच्छुक बोलोदाता को नीलामी पर किसी सम्पत्ति/सम्पत्तियों की जांच करनी होगी। (3) इच्छुक बोलोदाता को बैंक की कार्यालय वेबसाइट <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> नीलामी विवरणों के लिए और बिक्री की शर्तों और नियमों के लिए पधार सकते हैं। (यूजर आईडी व पासवर्ड पंजीकरण नाम के साथ <https://kotakbank.auctiontigner.net> द्वारा बिना किसी लागत के उनकी लाइव आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ईएमडी आरक्षित कोमत का 10 प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट से माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली/संबंधित बैंक शाखा में परिशु II एवं III की स्थापित कापी भरकर निविदा प्रपत्र से संलग्न कर 16.08.2022 या इसके पहले से अपलोड और आवश्य प्राप्त करें, जो बोली (1) को भेजने की अंतिम तिथि से पहले वेबपोर्टल पर प्राप्त करनी होगी अर्थात् (i) डिमांड ड्राफ्ट की कापी (ii) पैण काई की कापी (iii) परिचय (केवाईसी) का प्रमाण अर्थात् वॉटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट वीरहा को कापी (iv) पते के प्रमाण की कापी, (v) परिशु II एवं III के भरी गई हस्ताक्षरित कापी जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हो बिना इसके निविदा प्रपत्र संभवतः रह ही कर दिए जाएंगे। (5) इच्छुक बोलोदाता को जो लाइव आईडी और पासवर्ड बाने में जल्दी सहायक हैं, अपलोडिंग डाटा, बोली का भेजना, ई-बोलो प्रक्रिया वगैरहा पर परिशु ई-नीलामी पर मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर), अहमदाबाद से उपलब्ध करा सकते हैं। संपर्क करने वाले व्यक्ति श्री राम शर्मा मोबाइल नं. 9978591888/6351896833 संपर्क नं. 079-68136837/68136880/68136844. E-mail ID: ramprasad@auctiontigner.net, support@auctiontigner.net/ ऑनलाइन टाइगर मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है और सम्पत्ति के संबंध में किसी जांच के लिए अधिकृत अधिकारी श्री तीर्थकर महरकर, मोबाइल नं. 9188818888542, मेल आईडी: Tirthankar.Mahato@kotak.com, बैंक कार्यालय के संपर्क का विवरण: कर्मशरियल बैंकिंग, कोटक महिन्द्रा बैंक: 101-102, प्रथम मंजिल, पीपी ट्रेड सेंटर, नेताजी सुभाष प्लेस, पितम्पुरा, नई दिल्ली-110034., श्री मोहित व्यास, मोबाइल: 9818887403, ईमेल आईडी: Mohit.vyas@kotak.com कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। (6) केवल बैंड यूजर आईडी/पासवर्ड तथा ईएमडी का सुनिश्चित भुगतान करने वाले बोलोदाता ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। (7) इच्छुक बोलोदाता जिम्मे 16.08.2022 को सायं 4.00 बजे पहले ऑनलाइन मांड द्वारा या पहले हार्ड कॉपी के माध्यम द्वारा आरक्षित कोमत का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा, अन्यथा बोलोदाता द्वारा जमा धरोहर राशि जब कर ली जाएगी। चूककत बोलोदाता को बिक्री के पश्चात 15वें दिन उससे पहले अन्यथा ऐसी विस्तारित अवधि में जो प्रतिभूति ऋणदाता एवं ई-नीलामी खरीददार के मध्य लिखित में सहमत होगी जो कि ई-नीलामी की तिथि से तीन माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। (9) गमड्ड बोलोदाता ई-नीलामी की तिथि से पहले मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ऑनलाइन का फायदा उठा सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अथवा मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड किसी भी नेटवर्क को समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और इच्छुक बोलोदाता सुनिश्चित कर ले वे ई-नीलामी में अपनी बोली रखने पर भेजने से पूर्व सुजित नहीं होंगे। (10) खरीददार लागू स्टैंडर्ड/अतिरिक्त स्टैंडर्ड/इन्फोर्मेशन प्रभार फीस इत्यादि को वहन करेगा और वह सभी संवैधानिक/गैर संवैधानिक देवों, करों, दरों मूल्य/नकद प्रभार, और किसी भी भी फूस इत्यादि को भी वहन करेगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास बिना कोई कारण बतलाए ई-नीलामी के स्थान/विलंबन/निरस्तकरण या किसी भी सभ्य प्रस्तावों को स्वीकृत या निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार है। (12) बोलोदाता को ई-नीलामी की विस्तृत नियमों एवं शर्तों के माध्यम से ई-नीलामी में अपनी बोली रखने पर भेजने से पूर्व सुजित नहीं होंगे। (13) प्रकाशन लागू प्रमुख कर्तव्य के विषय में है। (14) बिक्री प्रमाणपत्र प्रत्याभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि एवं स्वीकृति, संपूर्ण बिक्री की पंजीति के पश्चात जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र सफल बोलोदातर के नाम में जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र में नाम, उस व्यक्ति जिसने बोली जमा/भाग लिया है के अलावा के नाम में परिवर्तन हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। (15) बोलोदाता द्वारा एक बार बोली जमा कराने पर रद्द/बापिस नहीं ली जा सकती है, एवं बोलोदाता अंतिम बोली कोमत पर सम्पत्ति खरीदने के लिए बाध्य होगा। (16) सफल बोलोदाता को घोषणा के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय सभी बोलोदाताओं पर अचल होगा। प्राधिकृत अधिकारी के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वह बिना कोई कारण बताए सफल बोलोदाता को घोषणा करने से पहले किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया/निविदा को निरस्त कर सकती है। सशर्त बोलियों को अवैध माना जाएगा। कृपया यह नोट करें कि बोलियों को जमा कराने के पश्चात बोलियों में किसी भी तरह का परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देव, करों, दरों कर निर्धारणों, शुल्कों, प्रभारों इत्यादि, जो किसी के भी होंगे को अदायगी की एकमात्र जिम्मेदारी केवल सफल बोलोदाता को होगी। बोलियों को वेधता के संबंध में बोली राशि, ईएमपी अथवा बोलोदाता की घोषणा, बोलोदाता का प्रतिनिधित्व करने व्यक्ति के अधिकार के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तब प्राधिकृत अधिकारी का स्पर्धिकरण एवं निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में अंततः बैंक अपने एकमात्र विशेषाधिकार पर बिक्री को रद्द सकता है और किसी भी तिथि पर एवं ऐसे समय पर जो बैंक द्वारा निर्णित होगी एक बार पुनः संपत्ति की बिक्री के लिए रखेगी। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में बोलोदाताओं को केवल संबंधित बैंक शाखा के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को संपर्क करना होगा। (17) विशेष निर्देश- बोलोदाता को अपने हित के लिए किसी लेखा/असफलता के लिए अंतिम क्षणों में बोली करने से बचना चाहिए, क्योंकि न तो कोटक महिन्द्रा बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी खाता/असफलता (ड्रेनटेड असफलता/बिजली खाता/इत्यादि) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, ऐसी संभाव्य स्थितियों से बचने के लिए बोलोदाता से सभी आवश्यक व्यवस्थाओं/विकल्पों जैसे बिजली आयुर्ति के बैंकअप इत्यादि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है ताकि वे ऐसी स्थिति को टालने में सक्षम हो सकें तथा नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

(कृपया विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट <https://kotakbank.auctiontigner.net> M/ E-procurement Technologies Ltd.) चेवाला लें।  
इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2)/(8)(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस के रूप में माना जा सकता है।  
सूचना: उपरोक्त जारी ऋणदाताओं/ग्राहकों को एनए द्वारा अदायगी करने के साथ-साथ ब्याज और आकस्मिक खर्च और ब्याज की तिथि तक मर्यादा/सम्पत्तियों को भुनाने की प्राप्ति और प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अदा करनी होगी, वरना सम्पत्तियों को नीलाम की गई होगी बिक्री और देय यदि कोई होंगे तो ब्याज और खर्च के साथ ही वसूल किए जाएंगे।  
तिथि: 08.07.2022  
स्थान: दिल्ली  
अधिकृत अधिकारी

Uttam Khandu 09-07-2022